न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

दावा संख्या – 48/2019
प्रविष्टि दिनांक – 10.06.2019

उनवान

रामकिशन पुत्र केसरा जाति माली निवासी ग्राम छान तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान
–आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक
–प्रतिवादी

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश राजोरा– वकील आवेदक
श्री अर्जुन लाल मीना, नायब तहसीलदार– पेरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 12/01/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजीयात खसरा नम्बर 493, 6, 495, 504, 505, 510, 511, 513, 519 कुल किता 9 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिसवा वाके ग्राम अमीरपुरखेड़ा तहसील टोंक में स्थित है जिनका अंकन खाता संख्या 78 ग्राम अमीरपुराखेड़ा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में हो रखा है। इन आराजीयात में वादी का 1/10 हिस्सा है। ख0नं0 497 रकबा 12 बिस्वा गैर मु0 चाह एवं ख0नं0 498 रकबा 1 बिस्वा गैर मु0 चाह वाके ग्राम अमीरपुरखेड़ा तहसील टोंक में वादी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड के 1/20, 1/20 हिस्सा है। आराजी ख0नं0 1122 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा ग्राम छान तह0 टोंक में मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादी का 15/128 हिस्सा है। ख0नं0 754, 755, 1012 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 1211 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम छान तहसील टोंक में स्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा खाता नम्बर 78, 79, 80 ग्राम अमीरपुरखेड़ा व खाता नम्बर 108, 109, 571 वाके ग्राम छान में वादी का नाम 'मडया' अंकित कर रखा है। जो गलत अंकित हो रखा है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत दुरूस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर खाता संख्या 78, 79, 80 ग्राम अमीरपुरखेडा एवं खाता संख्या 108, 109, 571 वाके ग्राम छान तहसील टोंक जमाबन्दी क्रमशः सम्वत 2071–74 व 2070–2073 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अमीरपुरखेडा व छान तहसील टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में जो गलत रूप से वादी का नाम मडया अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामकिशन माली अंकित कर दुरूस्त करवाया जाकर त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करवाया जाये।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने नकल जमाबंदी, नकल आधार, नकल निर्वाचन नामावली, असल लेटर पेड ग्रा0पं0 छान, नकल राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

खण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार सरकार/प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब में कहा कि वादपत्र में भूमि मड़या के नाम अंकित है। रामकिशन के रूप में नाम शुद्ध करने हेतु साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम अमीरपुरखेडा, जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम छान मे आवेदक का नाम मड़या अंकित है जिसका आवेदक रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध आधारकार्ड, परिवार भामाशाह कार्ड मे आवेदक का नाम रामकिशन माली अंकित हैं। रामकिशन माली के स्थान पर मड़या लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या 78, 79, 80 ग्राम अमीरपुरखेडा एवं खाता संख्या 108, 109, 571 वाके ग्राम छान तहसील टोंक जमाबन्दी क्रमशः सम्वत 2071–74 व 2070–2073 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अमीरपुरखेडा व छान तहसील टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम **"मड़या पुत्र केसरा"** के स्थान पर **"रामकिशन माली पुत्र केसरा "** शुद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 12.01.2021** लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)